टिप्पणी

27

समसामयिक गतिविधियां

जैसा कि पर्यावरण क्षेत्र राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उभर रहा है इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसे नए विकासों के साथ अद्यतन रखा जाए। 'राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल' (एनजीटी) की स्थापना, राष्ट्रीय स्तर पर खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों का विनियमन तथा 'क्योटो प्रोटोकाल' और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर परंपरागत विकास के कुछ महत्वतपूर्ण घटक हैं। 'क्योटो प्रोटोकाल' के अलावा, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक अन्य गतिविधियां भी की गई हैं और जिनका योगदान वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में अति महत्वपूर्ण रहा है।

1980 के लगभग, भरतीय विधि प्रणाली, विशेषकर पर्यावरणीय कानून के क्षेत्र में इसके परंपरागत एप्रोच के दष्टिगत व्यातपक परिवर्तन किया गया और इसे न केवल प्रशासनिक तथा विधायी सक्रियता द्वारा पहचाना गया था, बल्कि न्यायिक सक्रियता के रूप में भी पहचाना गया। "न्यायिक सक्रियता" के लिए भारतीय न्यायालय द्वारा संवैधानिक अधिकारों के नए और सृजनात्मयक व्याख्याओं को अंगीकार करके इसके दायरे को व्याापक करने में सक्रिय भूमिका निभाई गई। प्रशासनिक एजेंसियों की शक्तियों तथा कार्यों के दायरे को निर्धारित करने तथा पर्यावरण और विकास के बीच सन्तुलन बनाए रखने में न्यायालयो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस भूमिका को जारी रखे हुए है। जनहित याचिका (पीआईएल) रूपी उपकरण द्वारा न्यायालयों की यह सक्रियता मजबूत हुई जिसके कारण न्यायालय लोक हितकारी व्यक्तियों तथा पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त मामलों पर हस्तक्षेप करने में समर्थ हुआ है। इस संबंध में भारतीय न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए जिसके कारण भारत में पर्यावरणीय विधिशास्त्र की इतिहासवादी शाखा की जड़े मजबूत हुई। इस पाठ का उद्देश्य भारत में न्याायालयों द्वारा निभाई गई भूमिका और इसके योगदान की चर्चा करना है जिसके कारण इस संबंध में जनहित याचिका दायर की गई। यह पाठयक्रम पर्यावारण संरक्षण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करता है।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप

- राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के कार्यों एवं भूमिका की व्याख्या कर पाएगें;
- खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के विनियमन से संबंधित कानून को समझ पाएंगे;

- 'क्योटो प्रोटोकाल' के मुख्य उद्देश्यों की पहचान कर पाएगें;
- पर्यावरणीय अपकर्ष को दूर करने के लिए कुछ अन्य अन्तंरराष्ट्रीय उपकरणों की सूची बनाए पाएंगे; तथा
- पर्यावरणीय संरक्षण में न्यायालयों की भूमिका के महत्व को समझ पाएंगे, और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयों की भूमिका की महत्ता को समझ पाएंगे।

27.1 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी)

एक 'ट्रिब्यूनल' न्यायालय की साज-सज्जा वाला होती है। प्रत्येक न्यायालय 'ट्रिब्यूनल' होता है परन्तु 'ट्रिब्यूनल' न्यायालय नहीं होता है। कुछ विशेष क्षेत्रों से संबंधित विवादों को अधिनिर्णय के लिए 'ट्रिब्यूनल' की स्थापना की जाती है जबकि, किसी विशेष क्षेत्र के बावजूद सभी प्रकार के विवादों के अधिनिर्णय के लिए न्यायालय मौजूद होता है। 'ट्रिब्यूनल' के अन्तिम निर्णय को सामान्यतया 'अवार्ड' कहा जाता है।

पर्यावारण से संबंधित किसी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन तथा व्यक्तियों तथा संपत्ति की क्षति के लिए मुआवजे तथा सहायता देने समेत पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण और अन्य प्राकतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के प्रभावी तथा त्वरित निपटान के प्रयोजन से राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम, 2010 के तहत 18 अक्टूबर, 2010 को राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी। यह एक विशेष निकाय है जिसमें बहु अनुशासनिक मामलों समेत पर्यावरणीय विवादों का निपटारा करने के लिए आवश्यक विशेषता मौजूद है।

यह ट्रिब्यूमनल आवेदनों तथा अपीलों को अन्तिम रूप से, उसको दायर करने के छ महीने के भीतर, निपटान करने का प्रयास करता है। आरंभ में, एनजीटी की स्थापना पांच स्थानों पर किए जाने और ट्रिब्यूनल की अधिक पहुंच बनाने के लिए सर्किट प्रक्रिया का अनुसरण किए जाने का प्रस्ताव था। ट्रिब्यूनल का मुख्य स्थान नई दिल्ली में है और भोपाल, पुणे, कोलकाता तथा चेन्नई चार अन्य स्थान पर ट्रिब्यूनल स्थापित है।

27.1.1 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की संरचना

एनजीटी में न्यायिक तथा न्याय निर्णायक के तौर पर विशेषज्ञ सदस्य दोनों शामिल होते हैं। एनजीटी का अध्यक्ष एक न्यायिक सदस्य होता है और वह भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय का मुख्य नयायाधीश हो सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा ट्रिब्यूनल के अध्ययक्ष की नियुक्ति की जाती है। एनजीटी के अन्य न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं। विशेषज्ञ सदस्य

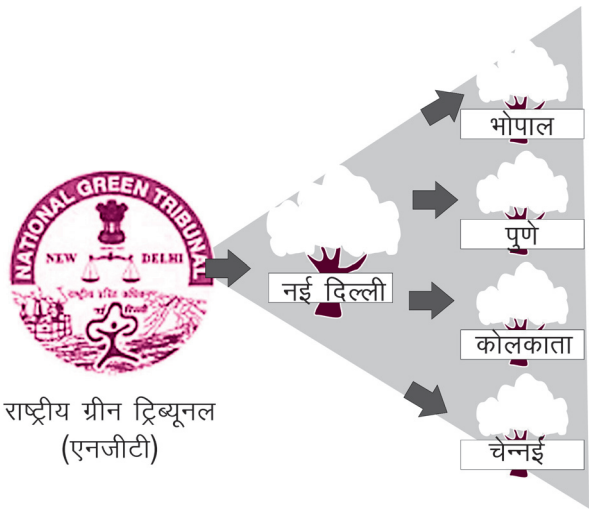

राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी)

के लिए व्यक्ति को जीव विज्ञान अथवा भौतिक विज्ञान में डाक्टयरेट की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही प्रतिष्ठत राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में पर्यावरण और वन के क्षेत्र में 5 वर्षों के प्रायोगिक अनुभव सहित संगत क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए अथवा केन्द्र या राज्य सरकारों अथवा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय संस्थानों में पांच वर्ष के अनुभव के साथ पन्द्ररह वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। चयन समिति की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा न्यायिक तथा विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति जाती है।

27.1.2 एनजीटी के न्यायाधिकार एवं शक्तियां

न्यायाधिकार का अभिप्राय किसी न्याायालय अथवा ट्रिब्यूनल को प्राधिकार देना है कि वह मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार करे और उस पर निर्णय दे। सभी सिविल मामलों पर एनजीटी का न्यायाधिकार है जहां पर्यावरण से संबंधित व्यापकप्रश्न (पर्यावरण से संबंधित किसी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन समेत) में शामिल होता है और ऐसे प्रश्न राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूननल अधिनियम, 2010 की अनुसूची-1 में निर्धारित नियमों के कार्यान्वयन से उत्पनन्न होते हैं अधिनियम सूचियों की अनुसूची-1 में निम्निलिखित विधान हैं -

(i) जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974;

(ii) जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) उप कर अधिनियम, 1977;

(iii) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980;

(iv) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981;

(v) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986;

(vi) लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1989;

(vii) जैव विविधता अधिनियम, 2002।

यह एनजीटी की व्याख्या करता है, उपरोल्लिखित विधानों के अनुसार यह विधान पर्यावरणी विधि के लिए भी कार्य करता है। इसलिए पर्यावरण कानून के प्रवर्तन पर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण अथवा जैव विविधता मामले एनजीटी के तहत आते हैं।

एनजीटी को अदेश द्वारा निम्नलिखित उपलब्ध कराने की शक्यिां प्रदत्त है

- अधिनियम की अनुसूची I (किसी खतरनाक वस्तुओं की हैंडलिंग के समय होने वाली दुर्घटनासमेत) में निर्धारित नियमों के तहत प्रदूषण तथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए पीडितों की सहायता तथा क्षतिपूर्ति करना।
- संपत्ति क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए।
- ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए पर्यावरण की क्षतिपूर्ति के लिए।

उपरोल्लिखित निदानों के लिए पीड़ित व्यक्तियों द्वारा दावा इस घटना के होने के पांच वर्षों के भीतर करना चाहिए। क्रिया के कारण का अर्थ प्रत्येक होने वाली घटना से है जो कि व्यक्मि को एनजीटी में एप्रोच करने के लिए संभव बनाता है। हलांकि, आपवादिक मामलों में ट्रिब्यूनल

आवेदन फाइल करने के लिए और अधिक साठ दिन दे सकता है, यदि ट्रिब्यूनल इस बात से सन्तुष्ट होता है कि आवेदक के पास पांच वर्ष के भीतर आवेन फाइल करने से रोके जाने का पर्याप्त कारण है।

अधिनियम में यह प्रावधन है कि दुर्घटना के मामले में ट्रिब्यूनल कोई चूक न होने के सिद्धान्त को लागू करेगा। कोई चूक न होने का सिद्धान्त निर्धारित करता है कि दुर्घटना के मामले में मालिक अथवा नियोक्ता कोई चूक न हो, से बचाव के लिए प्रतिरक्षा नहीं कर सकता। यदि दुर्घटना होती है और इसके परिणामस्रूम किसी व्यैक्ति अथवा पर्यावरण को क्षति होती है तो मालिक अथवा नियोक्ता केवल इस तथ्य के कारण जिम्मेदार होगा कि दुर्घटना उसके उपक्रम में हुई है। इस सिद्धान्त के अतिरिक्म एनजीटी, आदेश अथवा निर्णय या अवार्ड देते समय सुस्थिर विकास, सतर्कता सिद्धान्त और प्रदूषक भुगतान सिद्धान्त को लागू करता है।

27.1.3 प्रक्रिया

एनजीटी नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1902 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 में निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं है बल्कि यह प्राकतिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होता है। इसका उद्देश्य नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत दिए अनुसार सिविल कोर्ट की अपनी सभी शक्यिों तथा कार्यों का निष्पादन करना है। ट्रिब्यूनल का कोई भी निर्णय आदेश या अवार्ड सिविल कोर्ट की डिग्री के तौर पर ट्रिब्यूनल द्वारा निष्पादनीय है। इसलिए इस प्रयोजनार्थ ट्रिब्यूनल के पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां हैं। ट्रिब्यूनल यदि उचित समझे तो अपने आदेश या अवार्ड को सिविल कोर्ट के निष्पाादन के लिए भी भेज सकती है जिसके पास स्थानीय न्यायाधिकार होता है। मामले के निर्णय के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या दे होती है जिनमे से एक अवश्यांभावी रूप से न्यायिक सदस्य तथा दूसरा विशेषज्ञ सदस्य होना चाहिए। बहुमत से ट्रिब्यूनल का निर्णय बाध्यकारी है। यदि खण्डपीठ का मत बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में एनजीटी के अध्यक्ष द्वारा मामले की सुनवाई की जाती है और उस पर निर्णय दिया जाता है। यदि वह बराबर विभाजित खण्डपीठ का हिस्सा नहीं था। अध्यक्ष के बराबर विभाजित खण्डपीठ का हिस्सा होने के मामले को ट्रिब्यूनल की सुनवाई और निर्णय के लिए भेजेगा जो कि बराबर विभाजित खण्डपीठ का हिस्सा नहीं होते।

27.1.4 शास्ति

राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत एनजीटी द्वारा दिए गए किसी भी आदेश, निर्णय या अवार्ड का अनुपालन करने में विफलता की स्थिति में यह एक संज्ञेय अपराध होता है और उसे कैद की सजा होगी जिसे तीन वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है या जुर्माना जिसे दस करोड़ रूपए तक, कंपनी के मामले में 25 करोड़ रूपए तक, बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों हो सकता है और निरन्तर विफलता अथवा प्रतिकूलता के मामले में अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है जिसे 25 करोड़ रूपए तक, कंपनी के मामले में एक लाख करोड़ रूपए। ऐसी प्रथम विफलता या प्रतिकूलता के लिए दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसी नियमित विफलता या उल्लंघन के दौरान प्रत्येक दिन के लिए, बढ़ाया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया कोई भी आदेश, निर्णय या अवार्ड का जब सरकार का कोई भी विभाग अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसके विभागाध्यक्ष ऐसी विफलता के लिए दोषी होता है और वह इस अपराध के लिए कार्रवाई हेतु उत्तयरदायी हो जाता है और तदानुसार उसे दण्डित किया जाता है।

बशर्ते कि विभागाध्यक्ष यह सिद्ध न कर दे कि वह अध्यवसाय में था और उसे इस अपराध की जानकारी नहीं थी, तो उसे दण्डित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे अपराध के लिए किसी अन्य सरकारी अधिकारी को भी दण्डित किया जा सकता है यदि यह सिद्ध हो जाए कि वह अपराध ऐसे अधिकारी की सहमति अथवा जानकारी अथवा उसकी लापरवाही से हुआ था।

27.1.5 अपील

अपील में यदि कोई व्यक्ति मामला हार जाता है तो वह एनजीटी द्वारा दिए गए निर्णय को उच्च तम न्यायालय में दोबारा चुनौती दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी निर्णय से पीड़ित है तो वह ट्रिब्यूनल के निर्णय, आदेश या अवार्ड के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में ऐसे निर्णय, आदेश या अवार्ड की प्राप्ति की तारीख से, 90 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है। यद्यपि उच्चतम न्यायालय व्यक्ति को ऐसी अपील 90 दिनों के बाद भी दायर करने की अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि व्यक्ति को अपील करने से रोके जाने के पर्याप्त कारण थे।

पाठगत प्रश्न 27.1

1. ट्रिब्यूनलों की स्थापना के मुख्य कारण क्या हैं?
2. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
3. त्रुटिविहीन सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।
4. जब व्यक्ति एनजीटी के किसी भी आदेश, निर्णय या अवार्ड से पीड़ित है तो क्या वह अपील कर सकता है?
5. एनजीटी की खण्डपीठ के गठन के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या है, जो कि मामले की सुनवाई कर सके और निर्णय दे सके?

27.2 खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों का विनियमन

प्राकतिक तथा मानव निर्मित गतिविधियों दोनों के कारण आपदा हो सकती है। पर्यावरण आपदाओं की श्रेणी के तहत आने वाले खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों की विषमता से निपटान किए जाने के कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए वर्ष 1984 में भोपाल में यनियन कार्बाइड फैक्टरी से मिथाइल आसोसाइनेट के रिसाव के कारण गंभीर आपदा हुई जिसमें हजारो लोगों की मत्यु हो गई और उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यहां तक कि लोगों की भावी पीढियां इससे प्रभावित हैं।

खतरनाक पदार्थों के नियंत्रण और विनियमन करना सदैव पर्यावरण संरक्षण गतिविधि में मुख्य चिन्ता का विषय रहा है। इस मुददे को विशिष्ट रूप से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत प्रत्यायोजित विधानों के तरीके से समाधान किया गया। एक प्रत्यायोजित विधान सरकार के कार्यकारी निकाय के विधायी कार्यों को करता है। यह विधायिका द्वारा विधायन के तहत निष्पादित होता है। जो कार्यकारी प्राधिकारी को विधान को लागू करने के लिए वास्तविक कार्यान्वयन हेतु नियम बनाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत प्रत्यायोजित

विधान में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्ध एवं हैंडलिंग नियम, ई डब्यूय, एम एण्ड एच नियम, 1989 शामिल है। इन नियमों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वर्ष, 1991 में एच डब्ल्यू, एम एण्ड एच नियम के लिए दोबारा दिशा-निर्देश तैयार किया गया। ये नियम खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों की हैंडलिग के लिए विनियामक ढांचा उपलब्ध करातेहैं।

27.2.1 खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ की परिभाषा

एक खतरनाक पदार्थ को न केवल एक पदार्थ के रूप में पारिभाषित किया जाता है बल्कि एक तैयारी के रूप में जिसके द्वारा उसके रसायन या भौतिक रसायन संपत्ति या हैंडलिंग मानव जाति, अन्य जीवजन्तुय, पौध, सूक्ष्म जीवाणु, संपत्ति अथवा पर्यावरण को नुकसान होता है। यह परिभाषा प्रकृति को परिभाषित करता है कि किन खतरनाक पदार्थों को जिखिमपूर्ण माना जाए। ये हमारे चारो ओर मौजूद होते हैं, जिनसे हमारे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है और इसलिए ऐसे पदार्थो से निपटने के लिए कुछ दिशा-निर्देश की जरूरत है ताकि संभावित हानि से पर्यावरण का संरक्षणा किया जा सके। खतरनाक पदार्थोका एक उदाहरण औद्योगिक अपशिष्टण है जो कि कारखानों से एकत्रित होता है।

27.2.2 एचडब्यू, (एम एण्ड एच) नियमों के तहत खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के विनियमन की प्रक्रिया

क) **खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के उत्पत्ति की पहचान** - पहले कदम के रूप में खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को उत्पन्न करने वाले उद्योगों की पहचान करना।

ख) **आकड़े एकत्रित करना** - खतरनाक अपशिष्ट उत्पायदक उद्योगों की पहचान करने के पश्चात खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के उत्पादन से संबंधित आकड़ी की सूचनी बनाना, जो कि प्रत्येक पहचाने गए उद्योगों में सर्वेक्षण करके किया जा सकता है।

ग) **अपशिष्ट पदार्थों का विशिष्टीकरण** - खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ जो कि अध्यनयन के कारण से उत्पन्न होता है उसे विशिष्टीकृत किया जाना चाहिए। इसे प्रयोगशाला में किया जा सकता है। भौतिक, रासायनिक तथा सामान्य विशेषता से संबंधित विस्तृत खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ और ज्वलनशील, जंग, प्रतिक्रियात्मक एवं विषाक्तता से संबंधित संपत्तियों को लिया जाना चाहिए।

घ) **निपटान के लिए स्थल की पहचान** - खतरनाक पदार्थों की मात्रा तथा इसके ट्रीटमेंट, भण्ड्राण तथा निपटान के लिए अपेक्षित संभावित क्षेत्र का मूल्यांकन करने के पश्चात स्थल की पहचान की जाए।

ड़) **पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन, ईआईए, करना** - परियोजना से पड़ने वाले प्रभाव की पहचान की जानी चाहिए और अपशिष्टू पदार्थों के ट्रीटमेंट, भण्डारण तथा निपटान सुविधा के लिए स्थल क्लियरेंस हेतु लोगों की स्वीकृति ली जानी चाहिए।

च) **ट्रीटमेंट, भण्डारण तथा निपटान सुविधा का कार्यान्वयन** - अन्तिम निर्धारित स्थल ट्रीटमेंट, भण्डारण तथा निपटान सुविधा कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाए। स्थिल श्पर भण्डारण, ट्रीटमेंट तथा अन्तिम निपटान के लिए पर्याप्ता स्थान होना चाहिए। इन कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए स्थल पर प्रयोगशाला सुविधाएं होनी चाहिए।

खतरनाक अपशिष्टक पदार्थों से हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सतर्कतापूर्वक उपरोल्लिखित कदम उठाए जाने की जरूरत है। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के लिए खतरनाक अपशिष्टि पदार्थों के उचित ट्रीटमेंट, भण्डारण और निपटान करना आज की जरूरत है।

पाठगत प्रश्न 27.2

1. खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को पारिभाषित करें?
2. खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ कैसे हम को प्रभावित करते हैं?
3. खतरनाक अपशिष्ट, प्रबन्धन एवं हैंडलिंग, नियम 1989 बनाने के पीछे क्या उद्देश्यं था?
4. खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन एवं उनकी हैंडलिग के संबंध में **ईआईए** को आप कैसे पारिभाषित करेंगे?

27.3 क्योटो प्रोटोकाल (KYO TO PROTOCOL)

पर्यावरण संरक्षण एक क्षेत्रीय विषय नहीं है बल्कि यह एक वैश्विक विषय है और इसलिए पर्यावरण के संरक्षण का प्रयास भी अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। चूंकि किसी भी देश की पर्यावरण नीति केवल उस देश के पर्यावरण को प्रभावित नहीं करता है बल्कि यह वैश्विक पर्यावरण को प्रभावित करता है।

आद्योगिक देशों द्वारा उत्सिर्जित की जा रही ग्रीन हाउस गैसों, कार्बनडाईआक्साइड, मीथेन, नाइट्रसऑक्साइड, सल्फार हेक्सौ फलोराइड तथा गैसों के दो समूहों हाइड्रो फलोरोकार्बन और पर फलोरोकार्बन, जिसका कि वैश्विक पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य के तहत अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर किया गया उपाय **'क्योटो प्रोटोकाल'** का उदाहरण है।

'क्योटो प्रोटोकाल' जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूएनएफसी, का भाग है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की अन्तर सरकारी प्रयासों के लिए यूएन एफसी समग्र फ्रेमवर्क निर्धारित करता है। जलवायु परिवर्तन से यह देखा गया है कि विकासशील मानव गतिविधियों के कारण विश्वत के मौलिक जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और प्रत्येक वर्ष विश्व का औसत तापमान बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जिसका वर्तमान तथा भावी पीढियों पर बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकता है। तापमान में बढ़ोत्तरी मुख्य ग्रीन हाउस गैसे के उत्सर्जन से होता है। इसकी वजह से ओजोन गैस की परत क्षीण हो रही है, जो कि सूरज की हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकता है। इसलिए, यह विश्व का संरक्षण करने के लिए एक आन्दोलन है।

'क्योटो प्रोटोकाल' द्वारा निर्धारित नियमों को ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए औद्योगिक देशों द्वारा अनुपालन करना अनिवार्य है। प्रोटोकाल को 11 दिसम्बकर, 1997 में क्योटो, जापान में अंगीकृत किया गया था। 190 से भी अधिक देश इस प्रोटोकाल के सदस्य हैं, यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रोटोकाल का सदस्य नहीं है। भारत भी इस प्रोटोकाल का एक सदस्य है। क्योटो प्रोटोकाल की कतिपय सैद्धान्तिक अवधारणाएं हैं

- प्रोटोकाल के तहत 37 आद्योगिक देशों तथा 15 यूरोपियन देशों से बना यूरोपियन यूनियन, अनुबंध-1 देश के नाम से, द्वारा स्वदयं को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्य किया।
- प्रोटोकाल के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनुबंध 1 पार्टियों को अपने संबंधित देशों में ग्रीन हाउस गैसों की कटौती के लिए नीतियां तथा उपाय तैयार करने की जरूरत है।
- प्रोटोकाल के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के अनुक्रम में लोखांकन, रिपोर्टिंग और समीक्षा किया जाना।
- प्रोटोकाल के तहत प्रतिबद्धताओं के अनुपालन को लागू करने के लिए अनुपालन समिति की स्थापना।

'क्योटो प्रोटोकाल' एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह तथ्य की एक जानकारी है कि आद्योगिक विकास के नाम पर पर्यावरण को उस सीमा तक नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है जो कि स्वस्थ मानव जीवन के असितत्व के लिए अनुपयुक्त हो। वैश्विक पर्यावरण को स्व्च्छ तथा स्वस्थप्रद बनाने के लिए औद्योगिक देशों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के अपने दायित्व् को एकजुट होकर स्वीाकार किया और उनके द्वारा धारणीय विकास के लक्ष्य को महसूस किया गया। अवश्यभावी रूप से यह कार्य प्रगति पर है लेकिन महत्वपूर्ण इस समस्या के समाधान के लिए वैश्विक रूप से इसका वास्तवीकरण और प्रदर्शन है।

पाठगत प्रश्न 27.3

1. उन गैसों की पहचान करें, जिन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है?
2. पर्यावरण पर ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है?
3. 'क्योटो प्रोटोकाल' के मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य को पारिभाषित करें?
4. ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके कैसे हमारे पर्यावरण का संरक्षण होगा?

27.4 अन्य अन्तरराष्ट्रीय उपकरण

अन्तरराष्ट्रीय उपस्कर यथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर साथ-साथ आने वाले विभिन्न देशों द्वारा ड्राफट किया गया विधान और नियम उन पर लागू करना है। क्योटो प्रोटोकाल न केवल पर्यावरणीय डिग्रेडेशन निवारण का एक उपकरण है, वस्तुत अन्त राष्ट्रीय स्तर पर अनेक ऐसे उपाय किए गए हैं। अन्तरराष्ट्रीय उपस्करों को मिलाकर अन्तरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून का नाम दिया गया है। कई देशों में ये कानून व्यापक रूप से पर्यावरण कानून के विकास को प्रभावित करतेहैं। मानव पर्यावरण पर जून, 1972 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर लिए गए निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए भारत के मुख्य पर्यावरणीय विधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 को भी लागू किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रीय उपस्कर हैं -

1. स्टाककहोम उदघोषणा, 1972

- आधुनिक वैश्विक पर्यावरण कानून का आधार तैयार किया,

- विकसित तथा विकासशील देशें की समस्याओं के समाधान के लिए विभिनन्न दृष्टिकोणों की पहचान करने की अपेक्षा।
- जीवन के अधिकार के रूप में स्वस्थ पर्यावरण की मान्यता।
- अन्तर-आनुवंशात्मक समानता की अवधारणा को शामिल करना।
- उन विकासशील देशों के साथ पर्यावरण की जरूरतों के सन्तुलन के लिए आह्वान।
- राष्ट्रों को अपने संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार है, बशर्ते कि वे अन्य देशों के पर्यावरण को क्षति न पहुंचाएं।

2. ओजोन परत के संरक्षण के लिए 'वियना सम्मेलन', 1985

- यह एक ढांचागत संधि है जिसमें सदस्य, राष्ट्र ओजोन परत के संरक्षण के लिए अनुसंधान एवं सूचना, प्रौद्योगिकी के विकास का आदान-प्रदान करेंगे।

3. ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों पर 'मांट्रियल प्रोटोकाल', 1987

- प्रोटोकाल पार्टियों के लिए अपेक्षित है कि वे ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों की खपत को कम करें।
- विकासशील देशों को इसके अनुपालन के लिए 10 वर्ष की अतिरिक्त अवधि दी गई।

4. पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट, 'ब्रन्टी लैंड आयोग', 1987

- अन्तरराष्ट्रीय पर्यावरणीय और नीति के विकास में मील का पत्थर।
- नियमित विकास के सिद्धान्त् की स्थापना।

5. पर्यावरण एवं विकास, 1972 पर 'रियो उदघोषणा'

- स्टॉकहोम उदघोषणा में घारणीय विकास अन्तर-अनुवंशिकी समानता तथा अधिकारों के सिद्धांतों का निर्माण
- धारणीय विकास की अवधारणा का विस्तार
- सावधानीपूर्ण सिद्धांत
  - प्रदूषक द्वारा भुगतान का सिद्धान्त, और
  - पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन

6. जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

1. जैव विविधता का संरक्षण,
2. अपने घटकों का सुव्यवस्थित प्रयोग, और
3. परंपरागत संसाधनों से होने वाले लाभों का स्वरूछ और समान रूप से आदान-प्रदान

वर्ष, 2000 में एक अनुपूरक करार - जैव संरक्षण पर कार्टाजेना प्रोटोकाल - जैव

प्रोद्योगिकी द्वारा सृजित जीव तथा परिवर्धित सूक्ष्म जीवों से जैव विविधता संरक्षण की मांग।

अप्रैल, 2002 में, सम्मेलन के पक्षकारों ने वर्ष, 2010 तक वैश्विक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता की हानि की मौजूदा दर में महत्व पूर्ण कमी के लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया।

7. कार्य सूची 21, 1992

रियो शिखर सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए व्यापक रोड-मैप पर वैश्विक, राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तरों पर की जाने वाली कार्रवाई।

8. जलवायु परिवर्तन पर संयुंक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन, यूएनएफसीसी, 1992

जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए अन्तर शासकीय प्रयत्नों हेतु समग्र ढांचा निर्धारित करना-

- ग्रीन हाउस गैस के उत्सनर्जन, राष्ट्रीय नीतियों तथा बेहतरीन पद्धतियों पर सूचना एकत्रित करना और उसका आदान-प्रदान करना।
- विकासशील देशों को वित्तीय तथा प्रौद्योगिकीय सहायता समेत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के निपटान के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां लागू करना।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को दूर करने के लिए तैयारी में सहयोग।

21 मार्च, 1994 को अभिसमय लागू हुआ।

ये अन्तरराष्ट्रीय उपकरण स्पष्ट रूप से यह प्रतिबिम्बित करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा बहुत ही गंभीर है जो कि अन्तरराष्ट्रीय जगत का ध्यान आकृष्टि करता है। इन सभी उपस्करों से इस तय की जानकारी होती है कि पर्यावरणीय संरक्षण का समाधान एक बार में नहीं किया जा सकता यह एक सतत प्रक्रिया है जिसे निरन्तर जारी रखा जाना चाहिए।

पाठगत प्रश्न 27.4

1. 'क्योटो प्रोटोकाल' के अलावा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किन्हीं दो उपकरणों के नाम बताएं?
2. 'यूएनएफसीसी' के मुख्यर उद्देश्य् क्या हैं?
3. जैव विविधता पर यूएन सम्मेललन, 1992, के तीन मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट करें?
4. पर्यावरण एवं विकास के लिए यूएन घोषणा, 1992 में क्या उल्लेख किया गया है, पर्यावरण एवं विकास परियोजना घोषणा?

पर्यावरण संरक्षण में न्यानयिक गतिविधि की भूमिका

27.5 पर्यावरणीय संरक्षण में न्यायालयों की भूमिका

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की अवधारणा को शुरूआत में व्यापक आयाम नहीं दिया गया था लेकिन धीरे-धीरे भारतीय न्यायालयों ने अपनी सक्रिय भूमिका के द्वारा इस शब्द के अर्थ को व्यापिक रूप देना शुरू किया। प्रश्न यह है कि कैसे पर्यावरण और विकास के बीच सन्तुलन लाया जाए। **'ग्रामीण याचिका और हकदारिता केन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश'** राज्य में पहला मामला है जब भारतीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न को देखने का प्रयास किया। इस मामले में याचिकाकर्ता, एक स्वैच्छिक संगठन, को भय था कि पटटेदारों की खनन गतिविधियों के कारण पारिस्थित की अशांति फैलेगी। सरकार द्वारा पटटेधारियों को अधिकार दिए गए थे और विशिष्ट कानून के तहत शर्तें निर्धारित की गई थीं। उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए विशेषज्ञों की समिति के अनुसार कतिपय क्षेत्रों में चूना-पत्थर का खनन खतरनाक पाई गई थी। इससे पारिस्थिति की सन्तुलन की क्षति हो रही थी। उच्चतम न्याायालय ने इन क्षेत्रों में खनन प्रचालनों को बन्द करने का आदेश दिया, हलांकि जिन क्षेत्रों में खतरनाक स्थिति की रिपोर्ट नहीं थी वहां खनन प्रचालन की अनुमति थी। न्यायालय ने पटटेदारों की कठिनाईयों पर विचार किया लेकिन सोचा कि यह वह कीमत है जिससे न्यूनतम पारिस्थपति की असन्तुलन के साथ स्वास्थ पर्यावरण में लोगों के जीने के अधिकार का संरक्षण होगा। क्या यह महत्वचपूर्ण है कि भारतीय संविधान के अनुच्छोद 32 के तहत मामला दायार किया गया था और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए आदेश दिए गए थे। अनुच्छेद 32 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए एप्रोच किया जा सकता था और हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में पर्यावरण के लिए किसी विशेष मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है। इसका अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण की स्वच्छता को मौलिक अधिकार के रूप में माना। यह केवल जीने के अधिकार के अर्थ की व्याकपकता द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि इसका उल्लेलख भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में एक मौलिक अधिकार के रूप में किया गया है।

मानव तथा स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को **एम सी मेहता ग्रुप** के मामले में अप्रत्यक्ष तौर पर देखा जा सकता है जिस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया। एम सी मेहता, एम सी मेहता बनाम भारत संघ, मामले में, फैक्टरी में खतरनाक उत्पाादों के निर्माण की गतिविधियों के प्रभाव को न्यायालय ने विशेष रूप से डील किया। इन गतिविधियों से फैक्टोरी में कार्यरत कर्मचारियों और इसके आसपास बाहर रहनेवाले जन सामान्य सदस्यों को खतरा था। यह आरोप था कि फैक्टरी से ओलियम गैस के रिसाव से कई व्यक्यिों की मौत हो गई और अन्य अनेक व्यक्यिों के स्वास्थ पर बुरा प्रभाव पड़ा। प्रश्न यह था कि क्यों न संयन्त्र को बन्द कर दिया जाए। कई शर्तें निर्धारित की गई थी जिसके तहत खतरनाक उत्पादों में लगे उद्योगों को पुन उत्पादन शुरू करने की अनुमति दी गई। ऐसा करने से न्यायालय ने पाया कि संविधान के अनुच्छेद 21 और 32 के स्कोप और क्षेत्र से संबंधित इस तरह के कुछ मामले उठे।

यद्यपि द्वितीय एम सी मेहता मामले में, **'एम सी मेहता बनाम भारत संघ'**, न्यायालय ने कुछ शर्तों में परिवर्तन किया और **तृतीय एम सी मेहता** मामले में, **एम सी मेहता बनाम भारत संघ**, फैक्टयरी से ओलिय गैस के रिसाव से पीडित लोगों को भुगतान किए जाने वाले मुआवजे की राशि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठा। न्यायालय ने पाया कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

इस याचिका को देखा जा सकता है और ऐसे सिद्धान्त को निर्धारित किया जस पर मुआवजे की मात्रा को परिकलित करके भुगतान किया जाए।

यद्यपि, अनुच्छेद 21 में स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के असितत्व को विशेष रूप से घोषित नहीं किया गया था, न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के अनुच्छेद 32 के तहत जीने के अधिकार से संबंधित संवैधानिक प्रावधन की व्याख्या के माध्यम से मुआवजे की पूर्ण जवाबदेही के सिद्धान्त पर कार्य किया। इस निर्णय का आधार स्पष्ट और एकार्थक है कि स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण मौलिक अधिकार है।

'क्षेत्रीय प्रदूषण मुक्त संघर्ष समिति बनाम उ.प्र.' राज्य और **'सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य'**, मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे कदम बढ़ाया। मुख्य नयायाधीश सब्यसांची मुकर्जी ने क्षेत्रीय प्रदूषण मामले को देखा और टिप्पणी की:

> भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में अपेक्षितानुसार प्रत्येक नागरिक को बहतरीन जीवन जीने का मौलिक अधिकार है।

न्यायाधीश के एन सिंह ने सुभाष कुमार के मामले में पाया कि – "जीने के अधिकार में बहतरीन जीवन के लिए प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार शामिल है।"

स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को पढ़कर के जीवन के अधिकार के दायरे को न्यायालय के निर्णय ने व्यापक बना दिया। इस प्रकार, भारतीय न्यायालय समय की जरूरतों के लिए रहती है और नए सिद्धान्तों और सुधारात्मक उपायों को तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

पाठगत प्रश्न 27.5

1. क्या संविधान के अनुच्छेद 21 का व्यापक दायरा 'न्यायिक सक्रियता' का एक उदाहरण हो सकता है ?
2. क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का प्रयोग उच्चतम न्यायालय के एप्रोच से पर्यावरण के अधिकार के उल्लंघन के मामले में किया जा सकता है?
3. परंपरागत रूप से खतरनाक तथा घातक पदार्थों के उत्पादन में लगे उद्योग के दायित्व के प्रकृति की पहचान करें ?
4. भारतीय संविधान द्वारा विशेष रूप से दिए गए अनुसार क्या स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मौलिक अधिकार है ?

27.6 जनहित याचिका (पीआईएल), की भूमिका

पूर्व परंपराओं, अधिकारिता सिद्धान्त के अनुसार, के विपरीत, जिसमें केवल पीडित व्यक्ति ही न्यायालय में अपील कर सकता था, आज व्यक्ति वास्तविकता और पर्याप्त हित में आम लोगों की शिकायतों, लोगों के कर्तव्यों या सामाजिक संरक्षण तथा सामूहिक अधिकारों और हितो के समाधान के लिए न्यायालय में अपील कर सकता है। इसे अधिकारिता के सिद्धान्त के फीकेपन के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत उच्चतम

न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के प्रार्थना अधिकार क्षेत्र की योग्याता पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ और स्वच्छ तथा प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के लिए अधिकारों को न्यायालय ने व्यापकता प्रदान की। अधिकांश मामलों में, यह प्रगति पीआईएल की व्यवस्था से हुई है। न्यायालय द्वारा पीआईएल के रूप में मामला दायर करने की अनुमति दर्शाता है कि सुनिश्चित करने के तरीके से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती जो कि न्यायाधीश करते हैं। **'तरूण भगत सिंह अलवर बनाम भारत संघ'** के मामले में, एक सामाजिक कार्य समूह ने संरक्षित वन क्षेत्र में खनन लाइसेंस दिए जाने की वैधता को चुनौती दी। इस मामले में उच्चतम न्यायालय मे टिप्पणी की–

"इस याचिका को सामान्तया प्रतिकूलात्मक याचिका के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। राष्ट्रीय एजेंडे पर याची का उद्देश्य ऊंचा है। पर्यावरण, पारिस्थिति की तथा वन्य जीव के लिए याची के मतों को सरकार द्वारा शेयर किया जाना चाहिए।"

न्याायालय का विचार महत्वपूर्ण है चूंकि इसमें पर्यावरणीय मुददे में पीआईएल की तार्किकता पर बल दिया गया है।

पर्यावरण के मामले को उठाने वाला कोई व्यक्ति चाहे वह एक व्यक्ति, समूह अथवा संस्थान क्यों न हो सबका समस्या से बराबरी का संबंध है। ऐसी याचिका को एक राज्य के साथ प्रतिकूलात्मक विवाद के तौर पर नहीं देखा जा सकता। 1984 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ के मामले में न्यायाधीश पीएन भगवती ने उललेख किया कि यदि कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा आर्थिक अक्षमता के कारण न्यायालय में एप्रोच करने में असमर्थ है तो वह केवल एक पत्र लिखकर न्यायालय में जा सकता है। क्योंकि कानूनी प्रक्रिया कुछ नागरिकों की पहुंच से दूर है।

पीआईएल मामलों का दायरा बहु आयामी है। यह जानवरों की संवेदना, आदिवासी तथा मछुआरों का विशेषाधिकार, हिमालय और वनों की पारिस्थितकी, इको पर्यटन, भूमि के उपयोग के तरीके और पारिस्थितकीय क्षति के कारण गांवों द्वारा जूझ की जा रही समस्यों तक फैला है। पर्यावरणीय मुददों को न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका द्वारा समाज के बहुआयामी लोगों ने प्रस्तुत किया। वकीलों, वकील संघों, पर्यावरणविदों, विभिन्न समूह और केन्द्र, जो कि पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण के प्रति समर्पित है, कल्याणकारी मंचों, उपभोक्ता अनुसंधान केन्द्रों ने सफलतापूर्वक पर्यावरणीय मामले को न्यायालय के समक्ष उठाया।

पाठगत प्रश्न 27.6

1. क्या 'पी. आई. एल.' लोक स्ट्ैण्डी के कठोर सिद्धान्त के फीकेपन का एक उदाहरण है?
2. 'पी. आई. एल.' कौन दायर का सकता है?
3. 'पी. आई. एल.' में किस तरह के मुददे को उठाया जा सकता है?
4. न्याय देने की विरोधात्मक या प्रतिकूलात्मक प्रणाली से आप क्या समझाते हैं?

27.7 निर्देश जारी करने की तकनीक

पर्यावरणीय मुकदमों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के अधिकार, अनुच्छेद 32 के तहत जारी निर्देश और उच्चे न्यायालय द्वारा अनुच्छोद 226, पर्यावरणीय मुकदमों के लिए अत्यंनत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के संरक्षण में बहुत से दिशा-निर्देश मील का पत्थर साबित हुए।

1. पर्यावरणीय विधि शास्त्र के उदगम के सिद्धान्त

जनहित याचिकाएं पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत से सिद्धान्तों के विकास में महत्वपूर्ण रही हैं। 'एम सी मेहता बनाम भारत संघ' खतरनाक और अप्रत्यक्ष खतरनाक उद्योगों द्वारा पहुचाये जाने वाले नुकसान के लिए पूर्ण जवाबदेही उच्चतम न्यायालय ने तय किया है। औद्योगिक कचरा केस, 'पर्यावरण कानूनी कार्रवाई-भारतीय परिषद बनाम भारत संघ', रासायनिक उद्योगों द्वारा निकले हुए जहरीले कचरे से पीडित ग्रामवासियों के मुआवजे के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 'प्रदूषक भुगतान सिद्धान्त' को लागू किया।

वायु प्रदूषण से आगरा के ताजमहल के संरक्षण के लिए 'एम सी मेहता बनाम भारत संघ' के मामले में 'पूर्व सतर्कता सिद्धान्त' सीधे तौर पर लागू किया। विशेषज्ञ अध्ययन से यह साबित हो गया कि ताल महल के आसपास कोक और कोयला आधारित उद्योगों के उत्सर्जन से ताजमहल की प्रभावशीलता को नुकसान पहुंचा है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि प्रदूषण फैलाने वाले संभावित उद्योगों को औद्योगिक ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का प्रयोग के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए और ताजमहल के आसपास के जो उद्योग किसी कारणवश गैस कनेक्श न प्राप्त करने की स्थिति में नहीं थे उनके कार्य संचालन को रोक दिया जाना चाहिए और उन्हें निर्धारित समय के भीतर चिहिन्त किए गए बाहर के वैकल्पिक स्थान पर पुन स्थापित किया जाए।

पारिस्थित की संतुलन के साथ विकास गतिविधियों में सन्तुलन बनाने के अनेक मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा भी 'धारणीय विकास' के सिद्धान्त को लागू किया गया है। ग्रामीण याचिका तथा हकदारिता केन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य को एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।

2. सामाजिक पर्यावरण का संरक्षण

रोजी-रोटी का अधिकार और स्वच्छत पर्यावरण का न्यायालयों से व्यापक संबंध रहा है, जब उन्होने पर्यावरण के मामले में निदेश जारी किए हैं। एस्बेयस्ट्स उद्योग में लगे मजदूरों को उनके स्वास्थय संबंधी खतरों के लिए चिकित्सा सुविधा तथा क्षतिपूर्ति की पात्रता घोषित की गई थी, जिसका पता सेवा निवृत्तं पश्चात **'सीईआरसी बनाम भारत संघ'** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाया गया था।

3. कानूनकी दरारों को भरना तथा प्रशासन में कमियों को दूर करना

अधिकांश मामलों में सरकारी प्राधिकरणों को पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का स्मरण दिलाने के लिए न्यायालयों द्वारा निदेश जारी किए गए। इस प्रकार, स्थानीय निकायों, विशेषकर नगरपालिका प्रधिकरणों, को कूड़े कचरे तथा अपशिष्ट पदार्थों को हटाने तथा कस्बों और शहरों को स्वच्छ बनाए जाने के निर्देश दिए गए।

4. पर्यावरणीय जागरूकता और शिक्षा

उच्चतम न्याायालय के निदेशानुसार पर्यावरणीय जागरूकता और साक्षरता का व्यापक तौर पर प्रचार-प्रसार किया जाए और साथ ही पर्यावरणीय शिक्षा की शुरूआत न केवल स्कूल स्तर पर की जाए बल्कि इसे कालेज स्तर पर भी किया जाए। एम सी मेहता बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यायालय ने यह भी अपेक्षा की है कि प्रत्येक राज्य सरकार और शिक्षा मंडल पर्यावरणीय शिक्षा के लिए कदम उठाए।

इस प्रकार उपयुक्ति चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में न्यायालयों द्वारा अधिकार प्रदान करके पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पीआईएल द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है।

पाठगत प्रश्न 27.7

1. ई. पी. सी. ए. का क्या अर्थ है?
2. सी. एन. जी. से आप क्या समझते हैं?
3. वाहनों से किस तरह का प्रदूषण होता है?
4. उद्योगों द्वारा अपने औद्योगिक अपशिष्टों को नदी में डालने से किस तरह का प्रदूषण होगा?

27.8 पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

हमने देखा कि पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में न्यायिक गतिविधि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे सौ निर्णय हैं, जिनका कि इस कार्य में सामूहिक योगदान रहा है। इन निर्णयों में से कुछ विशेष निर्णयों को प्रतिबिम्बित किया गया है, जिनका पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। अधिकांश ऐसे निर्णय जनहित याचिका, पी आई एल, के माध्येम से भी आए हैं। अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक या खतरनाक या घातक गतिविधियों में शामिल उद्योगों को जवाबदेही के सिद्धान्त के आधार पर उनकी वजह से हो रहे प्रदूषण से होने वाले नुकसान के लिए उन क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी डाली गई। वन संरक्षण से लेकर नागरिक सुविधाओं के अभाव तक गंगा नदी के प्रदूषण, दिल्ली के निवासियों द्वारा सांस लेने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वायु तक पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले उद्योगों को बन्दक करने के निर्देश से ताजमहल की चमक को काफी हद तक बनाए रखा गया है। ये सभी मामले भारतीय न्यायालयों ने स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के हैं। कुछ ऐतिहासिक मामलों में शामिल हैं -

1. दिल्लीं वाहन प्रदूषण मामला

स्थापित पर्यावरणीय कार्यकर्ता और वकील एम सी मेहता द्वारा 1985 में एक पी आई एल दायर की गई थी। यह नागरिकों का सीधा मामला है। मेहता ने नई दिल्ली- और उसके आसपास के क्षेत्रों के वायुमण्डील में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स से प्रदूषण के स्तकर में खतरनाक वृद्धि के बारे में चिन्ता प्रकट की है। प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाली संबंधित बीमारियों जिसमें क्षय

रोग, अस्थ्मा, ब्रांकाइटिस और फेफडों का कैंसर शामिल है। मेहता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी, भारत संघ तथा दिल्ली प्रशासन और डीटीसी ने भारत के सामान्य कानून और पर्यावरण के खिलाफ कार्य किया है। उन्हों ने बल दिया कि स्वच्छ वातावरण में रहना दिल्ली के निवासियों का मौलिक अधिकार हैं और ये अधिकार प्रतिवादी द्वारा भंग किया गया है। उन्होंने न्यायालय से प्रार्थना की कि प्रतिवादी, जिसके वाहनों द्वारा खतरनाक गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, के खिलाफ उत्सर्जन को रोकने के लिए कार्रवाई की जाए।

ये मामला 1985 में दायर किया गया था लेकिन 1990 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तत्पाश्चात उच्चतम न्यायालय द्वारा कई निर्देश जारी किए गए। इस मामले में प्रगति हुई थी भले ही धीमी गति से। वर्ष 1990 से 1992 के बीच न्यायालय ने वाहन उत्सर्जन की जांच के आदेश दिए खास तौर से सार्वजनिक बसों पर ध्यान दिया जिसमें दोषी वाहनों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्तस करने के अधिकार तक शामिल हैं। जैसे-जैसे विवाद आगे बढ़ा तो न्याायालय ने प्राधिकरणों को तीन चरणों में शीशा रहित ईंधन के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जिसकी शुरूआत दिल्ली से हुई और पूरे भारत में 2001 तक सभी राजकीय वाहनों को संघनित प्राकृतिक गैस दुपहिया, तिपहिया वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तक और संघनित गैस अथवा शीशा रहित ईंधन प्रयोग करने के निदेश दिए और यह भी निर्देश दिए कि एक निकाय बनाया जाए जो कि न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन की निगरानी करे।

जनवरी, 1998 में, उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार के विशेषज्ञ प्राधिकरण, जो कि पर्यावरण प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण ईपीसीए के गठन को अनुमोदित किया।

तथापि, जुलाई, 1998 में एक ऐतिहासिक आदेश पारित किया जिसमें यह दावा किया गया कि पर्यावरण प्रदूषण अतिवादियों की बन्दूक से निकली गोलियों से ज्यादा पीडित करता है जो कि सार्वजनिक जीवन में विभिन्न अंशधारकों के लिए युद्ध का क्षेत्र बन गया। इसमें शामिल था अक्टूबर, 1998 से 15 वर्ष पुराने सभी वाहनों, टैक्सियों को हटाना, दिसम्बर, 1998 तक पेट्रोल स्टेशनों पर 2 टी आयल की आपूर्ति को प्रतिबंधित करना, और अप्रैल, 2001 तक सार्वजनिक परिवहन के लिए 10000 बसों तक बढ़ाना, सितम्बर, 1998 तक एनसीटी दिल्ली के अंतर्गत शीशा युक्ब पेट्रोल को बन्दर करना, 31 मार्च, 2000 तक 1990 या उससे पहले के सभी ऑटो रिक्शा और टैक्सी को नए वाहन क्लीन फयूल आधारित वाहनों से प्रतिस्थापित करना।

01 अप्रैल, 2000 तक केवल सीएनजी, संघनित प्राकृतिक गैस, के अलावा, 8 वर्ष से अधिक पुरानी कोई बसें नहीं चलनी चाहिए। न्यायालय ने दोबारा जोर देते हुए निर्देश दिया कि समय-समय पर न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों को प्रिन्ट तथा इलैक्ट्रॉनिक माध्यम दोनों द्वारा आम लोगों की जानकारी में लाने तथा प्रभावी और पर्याप्त कदम उठाएं। शहर में बदलाव लाने के लिए जुलाई, 1998 के आदेश में समय-सीमा दी गई थी। आदेश देते समय न्यायाधीशों ने कहा कि आज इस न्यायालय तथा ईपीसीए द्वारा पक्षकारों, विद्वानों के परामर्श से दी गई समय सीमा का सभी प्राधिकरणों द्वारा सख्ती से अनुपालन किया जाए। न्यायाधीशों ने सभी संबंधितों को सख्त चेतावनी देते हुए आगाह किया कि न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में विफलता की स्थिति में सभी संबंधितों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

उच्चतम न्यायालय का अगला लक्ष्य डीजल आधारित वाहन थे जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और रेस्पांइरेटरी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स के लिए 90 प्रतिशत जिम्मेदार हैं। डीजल के पार्टिकुलेट का

जहर और जहरीली हवा के लगातार संपर्क से प्रति मिलियन फेफड़े के कैंसर के 300 मामले आए हैं। 1999 में डीजल चालित वाहनों के मासिक पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में डीजल टैक्सियों को प्रतिबंधित कर दिया गया जब तक कि वे संरक्षा मानदण्डों के अनुरूप नहीं होती।

वर्ष 2000-2003 तक उच्चतम न्यायालय का पूरा ध्यान इसके द्वारा पारित आदेशों के कार्यान्वयन पर था। न्यायालय ने ऑटो ईंधन नीति में पूर्व सावधानी सिद्धान्त को लागू किया। ऑटो ईंधन नीति का पूरा ध्यान पर्यावरणीय क्षति कारणों का पूर्वानुमान, बचाव और पर्यावरणीय क्षति के कारणों पर केंद्रित था। कदाचित इन्हीं प्रयासों से आज सभी बसें सीएनजी पर चल रही हैं। निजी क्षेत्र के वाहनों समेत परिवाहन क्षेत्र को सीएनजी के आवंटन में आद्योगिक क्षेत्र से अधिक प्राथमिकता दी गई। इस तरह से, उच्चतम न्यायालय द्वारा अवतरित आदेशों द्वारा ध्येय को सफलता पूर्वक संपूर्ण किया गया।

'दिल्ली वाहन प्रदूषण' मामला नागरिकों के जीवन के बचाव के लिए उच्चतम न्यायालय की प्रतिबद्धता और समर्पण को प्रतिबिम्बित करता है। न्यायालय के निर्देशों का कार्यान्वयन न्यायिक प्रगति की तरह सुस्त थी। फिर भी, आज दिल्ली का अपेक्षाकृत स्वच्छय वायुमंडल पीआईएल का ही प्रतिफल है।

2. 'एमसी मेहता बनाम भारत संघ, गंगा प्रदूषण मामला', (एआईआर 1998 उच्चतम न्यायालय 1037)

गंगा के किनारे स्थित चर्म उद्योग नदी को प्रदूषित कर रहे थे। उच्चतम न्यायालय ने आदेश की तारीख से छः महीने के भीतर एफयूलेन्ट संयन्त्र बनाने का निर्देश जारी किया। इसमें विशिष्ट निर्देश था कि जो भी उद्योग इसको लगाने में विफल रहते हैं वे बन्द कर दिए जाएंगे। न्यायालय ने केन्द्रो सरकार, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित जिलाधिकारी को निर्देश जारी किया। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि उद्योगो के बन्द होने से बेरोजगारी, राजस्व का नुकसान होगा फिर भी जीवन, स्वास्थय और पारिस्थित की भी अधिक महत्वपूर्ण है। न्यायालय अभी भी गंगा नदी की सफाई अभियान को मॉनीटर कर रहा है।

3. बिछड़ी गांव का मामला, - 'पर्यावरण, विधि कार्य के लिए भारतीय परिषद बनाम भारत संघ'

बिछड़ी, राजस्थान के उदयपुर जिले का बहुत ही कम जाना-सुना गांव है। फिर भी, 1988 में रासायनिक उद्योग के एक समूह ने वहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उससे संबंधित रसायन का निर्यात करने के लिए संयन्त्र स्थापित किया। यद्यपि, यूरोपियन देशों में एसिड का उत्पादन प्रतिबंधित है फिर भी वहां इसकी आवश्यकता बनी रहती है। इस तरह, भारत का एक दूरस्थ गांव जहरीले रसायन के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण स्थान बना। इस तरह खतरनाक उद्योग ने प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण से बिना उचित अनापत्ति प्रमाणपत्र लिए इस रसायन का उत्पादन शुरू किया। फैक्टरी का अपशिष्टि उत्पाद की मात्रा 2400 और 2500 मीट्रिक टन के बीच थी, जो कि बहुत ही जहरीली थी। कम से कम ग्यारह गांवों के 400 किसान और उनके परिवार सीधे तौर पर भू-जल प्रदूषण से प्रभावित थे।

तथापि, अक्टूबर,1989 में एमसी मेहता की अगुवाई में दिल्ली आधारित एनजीओ, पर्यावरण विधि कार्रवाई के लिए भारतीय परिषद द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। एनजीओ ने ग्रामवासियों द्वारा झेली जा रही अमानवीय अमानवीय जीवन को प्रस्तुत किया और न्यायालय से प्रार्थना की कि कोई नैदानिक कार्रवाई की जाए। उच्चतम न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली और इस तरह से कानूनी लड़ाई इस दिन से निरन्तर चलती रही। 1989 और 1994 के बीच में, न्यायालय ने आदेश पारित किया। प्रभावित क्षेत्र और उसके आसपास की स्थिति की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन की प्रार्थना को उन्होंने शामिल करने का अनुरोध किया और इसके पश्चात अल्पत और दीर्घकालीन निदान के लिए कार्रवाई की सिफारिश की।

फरवरी, 1996 में न्यायालय ने अपना अन्तिम आदेश घोषित किया, जिसमें यह कहा गया कि ग्रामीणों, भूमि तथा जल प्रदूषण के लिए ये खतरनाक उद्योग ही जिम्मेदार हैं। इसलिए ये आद्योगिक अपशिष्टों तथा अन्य प्रदूषक को हटाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए बाध्य थे तथा भूमि और भू-जल को री-स्टोर करने के लिए अपेक्षित सुधारात्मनक उपायों की लागत का भुगतान करने के लिए जिम्मेददार हैं। न्यायालय ने प्रदूषक भुगतान सिद्धान्त को लागू करते हुए और केन्द्रीय सरकार को सुधारात्मनक उपाय की लागत को उद्योगों से वसूलने के लिए प्राधिकृत किया। न्यायालय ने बिछड़ी क्षेत्र में स्थित सभी रासायनिक संयन्त्रों को बन्द करने का आदेश दिया। यह संदर्भ महत्वपूर्ण है कि न्यायालय ने वातावरण से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए समर्पित पर्यावरण न्यायालय की स्थापना का सुझाव दिया और इस तरह से न्यायालय की दीर्घावधि से लंबित मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया।

नवम्बर, 1997 में, पर्यावरणीय सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उद्योगों 3738 करोड़ रूपए और 34.28 लाख रूपए गामवासियों को तात्कालिक रूप से देने का आदेश दिया जिसका तत्काल अनुपालन नहीं हुआ। अन्ततः, 2011 में आदेश के अनुपालन में 15 वर्ष के विलंब के लिए न्यायालय ने नैदानिक राशि 37.38 करोड़ रूपए पर 12 प्रतिशत की दर से चक्रबृद्धि ब्याज लगाया और इसके भुगतान के लिए प्रदूषक को दो महीने अवधि दी गई, जिसका भुगतान न करने पर वसूली कार्रवाई का प्रावधान किया गया। इस तरह इस बाद प्रदूषक उद्योगों के पास न्यायालय के आदेश के अनुपालन के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।

बिछड़ी गांव मामले की महत्ता यह है कि यह ग्रामवासियों की शिकायतों को पीआईएल के माध्यम से सुने जाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 21 का आवेदन पूर्ण जवाबदेही तथा 'प्रदूषक भुगतान सिद्धान्त' भारत के उभरते हुए पर्यावरणीय विधि शास्त्र की इतिहासवादी शाख के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय है।

4. 'टी एन गोदावरमन तिरूमुलुकपाद बनाम भारत संघ', (एआईआर 1997 उच्चतम न्यायालय 1228)

सन्तुलित विकास के लिए विचार का प्रभाव न्यायालय की वन से संबंधित कानूनी प्रावधानों की व्याख्या से प्रभावित है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रभावित विभिन्न आयामों का परीक्षण किया गया। न्यायालय के इस समस्या के निर्णय का सारांश निम्नानुसार है -

- सरकार के उचित अनुमोदन के बिना वन क्षेत्र में खनन लाइसेंस दिया जाना वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। अवैध लाइसेंस के तहत इस प्रकार की सभी गतिविधियां बन्द की जानी चाहिए। राज्य सरकारें आवश्य क नैदानिक उपाय के लिए कदम उठाए।

- किसी भी तरह की चालू आरा मिलों की गतिविधि अवनिक कार्य है। आरा मिलें जो जो अरूणचल प्रदेश की सीमा के 100 किलोमीटर के दायरे के अन्दर हैं को बन्द किया जाना।
- आरा मिलों की संख्या, मिलों की वास्तविक क्षमता, निकटतम जंगल से दूरी और उनके लकड़ी के स्रोत की रिपोर्ट देना प्रत्येक राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
- अरूणाचल प्रदेश के वनों में, पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध। अन्य राज्यों में भी बिना कार्य योजना के अनुसार वनों की कटाई भी स्थगित।
- कटे हुए पेड़ों और लकड़ी के आवागमन को बन्द करना।
- वन क्षेत्रों की पहचान करने तथा पौध रोपण से वनों को आच्छारदित करना तथा आरा मिलों के संबंध में वन की सन्तुलित क्षमता के आकलन के लिए प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा विशेषज्ञ समितियों का गठन करना।
- जम्मू तथा कश्मीर राज्य में किसी भी निजी ऐजेंसी द्वारा गिरे हुए पेड़ों या लकडियों की कटाई में न लगाया जाए।
- तमिलनाडु के आदिवासी जो कि वन क्षेत्र में रह रहे हैं उन्हें सरकार की स्कीम तथा लागू कानून के अनुसार पेड़ लगाने और काटने चाहिए।

न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा के लिए 4 महीनों के भीतर मामला वापस लाया गया। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपने आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक समिति के गठन की प्रक्रिया न्यायालय ने आरंभ की। महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश बिना लाइसेंस वाले आरा मिलों तथा प्लाई वुड उद्योगों को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। तमिलनाडु के जनमन क्षेत्र में गिरे हुए सभी पेड़ों के स्थान पर राज्य सरकार का नए पेड़ लगाने के आदेश दिए गए थे।

भारत के वन कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने में प्राधिकरणों की पूरी तरह से विफलता को उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए आदेशों में स्पष्ट किया गया, यहां तक कि न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वायन के पर्यवेक्षण के लिए न्यायालय द्वारा एक समिति गठित करनी पड़ी, अन्यथा इस कार्य को प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए था।

कई विकासशील देशों ने भारत को ऐसे देश के रूप में देखा जहां मानव अधिकारों के लिए एक स्वतंत्र न्यायालय है और निश्चित रूप से पीआईएल के माध्यम से पर्यावरण के क्षेत्र में भारतीय न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण पेश किए जिससे इस कार्य के प्रति भारतीय न्यायालयों की प्रतिबद्धता दिखती है।

पाठगत प्रश्न 27.8

1. पर्यावरण संरक्षण से सम्बधित चार महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख किजिए।

आपने क्या सीखा

कुछ विशेष क्षेत्रों से संबंधित विवादों के निपटान के लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई जबकि न्यायालय किसी विशेष क्षेत्र के अलावा सभी प्रकार के विवादों के निपटान के लिए होता है।

जहां पर सभी प्रकार के विवादों, चाहे वह किसी विशेष क्षेत्र के कानून क्यों न हो, के निपटारे के लिए न्यायालय स्थित है वहां पर एक ट्रिब्यूनल विशिष्ट क्षेत्र के विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया है। जहां पर विशिष्ट क्षेत्र के मुकदमे के निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल स्थित है, ऐसे सभी विवाद न्यायालय से ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित किए गए हैं।

विभिन्नि देशों द्वारा बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय उपस्करों कानून व नियम मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने वाले कानून बनते हैं। अनेक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय उपस्कर मिलजुलकर बनाए गए हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के रूप में जाना जाता है।

वाहनों में डीजल तथा पेट्रोल के प्रयोग से उत्सर्जित होने वाले खतरनाक धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण के खतरो से संबंधित जनहित याचिका को उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई किए जाने के परिणाम स्वरूप ही आज दिल्ली के लोग स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं। सार्वजनिक वाहन दिल्ली की सड़को पर दौड़ने के लिए सीएनजी या सीएनजी जैसे ईधन के उपयोग को सुनिश्चित करने में अनेक वर्ष लगे और यह सब जनहित याचिका द्वारा ही संभव हुआ है।

जनहित याचिका द्वारा उच्चमतम न्यायालय में गंगा नदी के प्रदूषण और "बिछड़ी गांव के मामले में" प्रदूषक भुगतान सिद्धांत लागू किया और प्रदूषक उद्योगों से उनके द्वारा पर्यावरण की क्षति किए जाने के मुआवजे के तौर पर प्रदूषक द्वारा भुगतान के मामले को जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में पहुंचा।

टीएन गोदावरमन तिरूमुल्लाकपा उच्चतम न्यायालय ने पीआईएल द्वारा वन संरक्षण कार्य को सक्रिय रूप से संज्ञान में लिया।

पाठांत प्रश्न

1. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित करने के क्या कारण थे?
2. राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की संरचना क्या है?
3. एनजीटी के नए अधिकार क्षेत्र का वर्णन करें?
4. खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के समुचित तरीके से निपटान न होने से क्या प्रभाव हो सकता है?
5. खतरनाक अपशिष्टों के रख रखाव एवं प्रबंधन के विभिन्न सोपान क्या है?
6. ग्रीन हाउस गैस क्या है?
7. अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून को परिभाषित करें?
8. विशेष तौर से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लागू हुए "न्यायिक गतिविधि" को परिभाषित करें?
9. जनहित याचिका की भूमिका की संक्षिप्त में विवेचना करें?
10. उच्चतम न्यायालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में दिए गए चार महत्वपूर्ण निर्णयों के नाम बताएं?

11. किस प्रावधान के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में पीआईएल दायर की जा सकती है?
12. पीआईएल को परिभाषित करें, पीआईएल की मूल विशेषताओं का वर्णन करें ?
13. न्यायालय में विवादों की निपटान के लिए प्रतिकूलात्मक प्रणाली के बारे में क्या जानते हैं?
14. दिल्ली वाहन प्रदूषण मामले का संक्षिप्त वर्णन करें?
15. बिछड़ी गांव के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को क्यों और कैसे लागू किया गया

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

27.1

1. ट्रिब्यूतन स्थापित करने का मुख्य कारण न्यायिक सदस्यों के साथ विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करके विवादों के जल्द निपटारे को सुनिश्चित करना है।
2. पर्यावरण के बचाव एवं वन संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों जिसमें पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकार और व्यक्तियों को या स्रोतों को होने वाली क्षतिपूर्ति के शीघ्र एवं प्रभावी तरीके से निपटारा करने को सुनिश्चित करने के लिए एनजीटी की स्थापना की गई।
3. 'त्रुटिविहीन सिद्धांत' यह निर्धारित करता है कि किसी मालिक या उसके नियोक्ता अपने बचाव में चूक नहीं की का बहाना नहीं ले सकते। यदि कोई दुर्घटना होती है और परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति या पर्यावरण को क्षति पहुंचती है तो केवल उसका मालिक या नियोक्ता जिम्मेदार होगा क्यों कि यह दुर्घटना उसके उद्यम के अंतर्गत हुई है।
4. यदि कोई व्यक्ति एनजीटी में मामला हार जाता है तो वह मामले की चुनौती माननीय उच्चतम न्यायालय में कर सकता है।
5. मामले की सुनवाई और निर्णय दो सदस्य कर सकते हैं। जिसमें से एक न्यौयिक सदस्य और एक अन्य विशेषज्ञ सदस्य होता है।

27.2

1. पदार्थ या तैयार पदार्थ जो रासायनिक या भौतिक–रासायनिक पदार्थों की हैण्डलिंग के कारण मानव जाति, अन्य् जीव जन्तु, सूक्ष्म जीव, संपदा को अथवा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले खतरनाक अपशिष्ट कहलाते हैं।
2. खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ यदि लावारिस या साधारण रूप से फेंक दिया जाता है तो इससे बहुत से खतरनाक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय मामले बन जाते हैं।
3. खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ (प्रबंधन और रखरखाव) नियम, 1989 का मुख्य उद्देश्य खतरनाक अपशिष्टों का नियंत्रण और प्रबंधन है।
4. ईआईए का अर्थ है कि परियोजना के ट्रीटमेंट, भण्डारण और खतरनाक अपशिष्टों के निपटान से होने वाले प्रभावों की पहचान करना और ऐसे उपयोग के लिए स्थल क्लीयरेंस

हेतु आम लोगों की स्वकृति ली जानी चाहिए। खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन और हैण्डलिंग के संबंध में ईआईए जरूरी है।

27.3

1. कार्बन-डाई-आक्सोइड, मीथेन, नाइट्रस आक्सांइड, सल्फडर हेक्सा क्लोराइड और गैसों के दो समूह हाइड्रोक्लोरो कार्बन तथा परक्लोरो कार्बन।
2. जलवायु परिवर्तन के लिए ग्रीन हाउस गैसें जिम्मेदार हैं जिसमें भूमि के तापमान में औसत वृद्धि और ओजोन परत का क्षीण होता है।
3. ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का निवारण संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यल के अंतर्गत अंतराष्ट्रीय स्तर पर किए गए उपाय का क्योहटो प्रोटोकॉल एक उदाहरण है।
4. क्यों कि जलवायु परियोजन के लिए ग्रीनहाउस गैसों का उत्सिर्जन जिम्मेदार होता है इसलिए इसमें कटौती से स्वत: पर्यावरण क्षति बंद हो जाती है।

27.4

1. पर्यावरण और विकास पर 'रियो उद्घोषणा' या वर्ष 1992 में 'रियो-डी-जिनेरो' पर पर्यावरण और विकास अभिसमय तथा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (यूएनएफसीसी)
2. जलवायु परिवर्तन से होने वाली चुनौती का सामना करने के लिए अंतरशासकीय प्रयासों हेतु यूएनएफसीसी ने एक समग्र ढांचा बनाया है
3. तीन मुख्य उद्देश्य है:
   i. जैव विविधता संरक्षण,
   ii. इसके उपस्करों का सुव्ययवस्थित प्रयोग, और
   iii. परंपरागत संसाधनों के प्रयोग से लाभों की स्वच्छ और समान रूप से शेयरिंग।
4. संतुलित विकास, अंतर परंपरागत इक्विटी तथा प्रभुता संपन्न अधिकारों के सिद्धांतों पर बने 'स्टापकहोम उद्घोषणा' में सुस्थिर विकास और अन्योंथ के बीच पुन: पुष्टि करने, पूर्व सावधानी सिद्धांत की महत्ता और केन्द्रीयता, प्रदूषक भुगतान तथा पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन शामिल है।

27.5

1. हां।
2. हां।
3. पूर्ण जिम्मेदारी
4. नहीं।

27.6

1. हां।
2. आज व्यक्ति वास्तविकता और पर्याप्त हित में आम लोगों की शिकायतों, लोगों के कर्त्तव्यों या सामाजिक संरक्षण तथा सामूहिक अधिकारों और हितो के समाधान के लिए न्यायालय में अपील कर सकता है। पर्यावरणीय मुददों को न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका द्वारा समाज के बहुआयामी लोगों ने प्रस्तुत किया। वकीलों, वकील संघों, पर्यावरणविदों, विभिन्न समूह और केन्द्र, जो कि पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण के प्रति समर्पित है, कल्याणकारी मंचों, उपभेक्ता अनुसंधान केन्द्रों ने सफलतापूर्वक पर्यावरणीय मामले को न्यायालय के समक्ष उठाया।
3. पीआईएल मामलों का दायरा बहु आयामी है। यह जानवरों की संवेदना, आदिवासी तथा मछुआरों का विशेषाधिकार, हिमालय और वनों की पारिस्थितकी, इको पर्यटन, भूमि के उपयोग के तरीके और पारिस्थिकीय क्षति के कारण गांवों द्वारा जूझ की जा रही समस्यों व तक फैला है।
4. न्याय देने की प्रतिकूलात्मक प्रणाली का अभिप्राय यह है कि दो पक्षकार एक दूसरे के बीच मामले को चुनौती देते हैं और न्यालयाधीश किसी पक्ष का बेहतर मामला है के निर्णय के लिए एक तटस्थ निर्णायक यह रेफरी के रूप में बैठता है।

27.7

1. पर्यावरण प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण प्राधिकरण
2. संघनित प्राकृतिक गैस
3. वायु प्रदूषण
4. जल प्रदूषण

27.8

1. (i) दिल्ली वाहन प्रदूषण मामला
   (ii) एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ-गंगा प्रदूषण मामला
   (iii) विछड़ी गांव का मामला-पर्यावरण विधि कार्य के लिए भारतीय परिषद् भारत संघ
   (iv) टी. एन. गोदावरमन बनाम भारत संघ (ए. आई. आर 1997, SC 1228)